(30)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा म0प्र0

R-2463-II/13

भिलाई जे.पी.सीमेन्ट लिमि. फैक्ट्री बाबूपुर सतना जरिए प्रबंधक भिलाई जे.पी. सीमेन्ट लिमि. बाबूपुर सतना तहसील रघुराज नगर जिला सतना (म0प्र0)

------प्रार्थी/निगरानीकर्ता

बनाम्

भारतलाल पाल तनय स्व0 गनेश पाल निवासी फुटौंधा तहसील रघुराज नगर जिला सतना (म0प्र0)

--प्रतिप्रार्थी/गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी विरुद्ध निर्णय व आदेश दिनांक 15.12.2012 जो न्यायालय तहसीलदार साहब तहसील रघुराज नगर जिला सतना द्वारा प्रकरण क्रमांक 10अ12/2012-13 मे पारित किया गया।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता।

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है:-

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांक 15.12.2012 विधि प्रकिया एवं प्रकरण मे आए तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है।

(30)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक क्रमांक R–2463–II/13 जिला–स

भिलाई जे0पी0 सीमेण्ट/ भारतलाल पाल

(1)	(2)
18.12.18	1. आवेदक की ओर से श्री प्रमोद मिश्रा अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी तहसीलदार, तहसील रघुराजनगर, जिला सतना के प्रकरण क्रमांक 10/अ–12/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 15.12.12 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला सतना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 18.01.19 को कलेक्टर सतना के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य